

संभावना की खोज
न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, खूँटी।

वाद संख्या -87/2018-19

धारा -107 द० प्र० सं०

प्रणव मिर्धा
वज्रम
लक्ष्मी साहु

वाद की खोज का खोज

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
21.06.2018	<p>एतवा मिर्धा पिता स्व० पाण्डा मिर्धा ग्राम अड़की, पो० अड़की, थाना अड़की जिला खूँटी ने सूचित किया है कि द्वितीय पक्ष लक्ष्मी साहु पिता स्व० अकलु साहु, ग्राम अड़की, पो० अड़की, थाना अड़की, जिला खूँटी द्वारा पूर्व से बने मकान जिसमें रह रहें है को मरम्मत करने नहीं दे रहे हैं और घर-द्वार से बेदखल करने की धमकी दिया जा रहा है।</p> <p>जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या विपक्षी ऐसा असंतोषकारी कार्य करेगा जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।</p> <p>अतः मैं प्रणव कुमार पॉल अनुमण्डल दण्डाधिकारी, खूँटी उक्त आवेदन के आधार पर संतुष्ट होकर द० प्र० सं० की धारा 107 के अन्तर्गत कार्रवाई प्रारंभ करता हूँ। द्वितीय पक्ष को नोटिश निर्गत कर कारण पृच्छा करें क्यों नहीं उनको एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने हेतु उससे एक हजार रूपये का बंध-पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ दाखिल करने हेतु आदेश दिया जाय।</p> <p>दिनांक 28.06.2018 को उपस्थापित करें।</p> <p style="text-align: right;">अनुमण्डल दण्डाधिकारी, खूँटी।</p>	40 21/6/18

5/1/19

उभय पक्ष उपस्थित / दिनांक
~~07/1/19~~ को लिए

7/1/19

दिलीपसिंह के बहिष्कार/उपस्थित
प्रथम पक्ष अधिवेशन) अगली तारीख 15-01-19/01/18
को रकें।

19/01/19

उभय पक्ष उपस्थित / दिनांक
(30)
07.01.19

28/1/19

28/01/19 को रकें।
उभय पक्ष उपस्थित / अगली दिनांक
05-02-19 को रकें।

5/1/19

उभय पक्ष उपस्थित / समाप्त
समाप्त होने के कारण वाद की समाप्ति समाप्त
विषय जाता है।

(30)
05-02-19